सं. के-13014/4/2015-एससीएम-III-V

भारत सरकार

शहरी विकास मंत्रालय

स्मार्ट सिटीज प्रभाग-III

****

निर्माण भवन, नई दिल्ली

दिनांकः 9 नवम्बर 2015

कार्यालय ज्ञापन

विषयः शहरी स्थानीय संगठनों (यूएलबी) की क्रेडिट रेटिंग

शहरी स्थानीय संगठनों (यूएलबी) की क्रेडिट रेटिंग अमृत मिशन में परिकल्पित महत्वपूर्ण सुधार है। अमृत के दिशा निर्देशों के अनुबंध 1 के अनुसार, अमृत शहर, मिशन की शुरूआत से 18 माह के भीतर क्रेडिट रेटिंग पूरी कर लेंगे।

2. इसके अलावा, स्मार्ट सिटी मिशन के दिशानिर्देश सं. 10.1 में भी कहा गया है कि राज्य/शहरी स्थानीय संगठन सुनिश्चित करेंगे कि विशेष प्रयोजन व्हीकल को समर्पित और पर्याप्त राजस्व प्रवाह प्रदान किया जाता है ताकि यह स्थायी बन सके और स्वयं बाजार से अतिरिक्त संसाधन जुटाने के लिए स्वयं की ऋण पात्रता विकसित कर सके।

3. शहरी स्थानीय संगठनों की क्रेडिट रेटिंग के लिए एप्रोच के आधार पर, फोकस निम्नलिखित भिन्न उद्देश्यों पर होगा:

(i) संभावित उधारदाताओं को संकेतक देने के लिए प्रतिष्ठित विधि का उपयोग करते हुए शहरी स्थानीय संगठनों की क्रेडिट पात्रता और इनकी रेटिंग;

(ii) वित्तीय और गैर वित्तीय पहलुओं, दोनों में शहरी स्थानीय संगठनों के समग्र प्रदर्शन पर प्रकाश डालना;

(iii) क्रेडिट वृद्धि योजना के लिए रूपरेखा हेतु वित्त साधनों के प्रबंधन में शहरी स्थानीय संगठनों की शक्तियों और कमजोरियों के क्षेत्रों की पहचान; तथा

(iv) "बेस स्थिति परिदृश्य" में शहरी स्थानीय संगठन की "उधार लेने की क्षमता" का आकलन यदि "वित्तीय सुधार कार्य योजना" के कार्यान्वित की जाती है।

4. राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वित्तीय बोली के लिए मान्यता प्राप्त क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों के लिए आरएफपी जारी करके क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की अधिप्राप्ति कर सकते हैं। अधिप्राप्ति के लिए एक मॉडल आरएफपी **www.smartcities.gov.in** और **www.amrut.gov.in** वेबसाईट पर अपलोड कर दी गई है। चयनित स्मार्ट सिटी के लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की अधिप्राप्ति का निधियन शहरी विकास हेतु क्षमता निर्माण (सीबीयूडी) के जरिये विश्व बैंक द्वारा किया जाएगा। इस प्रयोजन के लिए, सीबीयूडी के जरिये निधियन हेतु क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के साथ

हस्ताक्षर किए जाने हेतु अनुबंध की प्रति शहरी विकास मंत्रालय को भेजी जाए। अन्य सभी अमृत शहरों के लिए, प्रशासनिक और कार्यालयी खर्च के लिए राज्य-निधि वार्षिक बजटीय आबंटन के 8% का उपयोग किया जाए।

9/11/2015

(जी. विजय कुमार)
उपसचिव, भारत सरकार
दूरभाष सं. 23063217

सेवा में,

1. सभी राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों के प्रमुख सचिव
2. निदेशक, एनआईयूए, पहली तथा दूसरी मंजिल, कोर 4बी, इंडिया हैबीटेट सेंटर, लोधी रोड, नई दिल्ली
3. निदेशक (एससी-II) तथा निदेशक (एससी-IV), निर्माण भवन, नई दिल्ली।
4. मुख्य योजनाकार, टीसीपीओ, ई-ब्लॉक, विकास भवन, आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-2
5. टीम लीडर (दल नेता), सीबीयूडी परियोजना।